राजस्व वाद संख्या 31 / 2025
GCMS NO. 2025 / 63
इनायत खां वगै0 बनाम आमीन वगै0
आदेश दिनांक 15.10.2025

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारीः— सुमन देवी
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अंन्तिम डिकी मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :— 31 / 2025 (इनायत खांवगै0 बनाम आमीन खां वगै0)

निर्णय दिनांक :—15.10.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, सुमन देवी(आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादी मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिकी दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 15.10.2025 द्वारा पारित निर्णयानुसार ग्राम निराधनू के हाल ख0न0 444, 445, 445 / 1150, 919, 920, 921, 922, 923 कुल किता 8 कुल रकबा 2.86 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में हुसैन खां उर्फ हुसैनी खां पि0 भादर खां जाति कायमखानी सा.देह खातेदार का नाम हजफ कर उक्त भूमि में विक्रय पत्र दिनांक 12.09.1989 के अनुसार वादीगण संख्या 1 से 3 को बहिस्सा बराबर—बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। दावा फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 15.10.2025 को जारी की गई।

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर